



CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
इन्डियन कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

15 जुलाई, 2021

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051
---	---


Dear Sir/Madam,

Notice of 17th Annual General Meeting of IDBI Bank

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of 17th Annual General Meeting of IDBI Bank being issued to the Members of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीया,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड


15/7/2021

[ज्योति नायर]

कंपनी सचिव

संलग्न: उपर्युक्त



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई- 400 005

फोन-(022) 66552711/ 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यों की 17वीं वार्षिक महासभा मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त 2021 को अपराह्न 2.00 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्यवाई की जाएगी:

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2021 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;
2. सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन: 07459492), भारत सरकार की नामित निदेशक की आवर्तन निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;
3. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन: 02262530), उप प्रबंध निदेशक की आवर्तन निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है;
4. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि जारी प्रासंगिक नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 तथा इस संबंध में अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, आरबीआई के दिशानिर्देशों, बैंक के संस्था बहिर्नियम एवं अंतर्नियमों तथा तत्समय लागू किसी भी कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हो, के अनुसरण में, मेसर्स जी. डी. आप्टे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 100515 डब्ल्यू) एवं मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 004532 एस) की बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में सत्रहवीं वार्षिक साधारण सभा के समापन से लेकर वर्ष 2024 में आयोजित होने वाली बीसवीं साधारण सभा के समापन तक की अवधि के लिए पद धारित करने, रिजर्व बैंक के वार्षिक आधार पर अनुमोदन के अधीन, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति/ बोर्ड द्वारा अनुशंसित और व्याख्यात्मक विवरण में दी गई शर्तों और मानदंडों व वार्षिक पारिश्रमिक/ शुल्क पर तथा बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को नियुक्ति की शर्तों और मानदंडों को फेरबदल करने एवं बदलने और शेष कार्यकाल के दौरान पारिश्रमिक में सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ आपसी सहमति से संशोधित करने के अधिकार के साथ नियुक्ति के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद्वारा दी जाती है "



IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai- 400 005,

Phone-(022) 66552711 / 3147

E-mail: idbiequity@idbi.co.in, Website: www.idbibank.in

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 17th Annual General Meeting of the Members of IDBI Bank Limited will be held on Tuesday, August 10, 2021 at 2:00 p.m. exclusively through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM), to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited Financial Statements of the Bank for the year ended March 31, 2021 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated Financial Statements of the Bank and the report of the Auditors thereon for the year ended March 31, 2021;
2. To re-appoint Ms. Meera Swarup (DIN: 07459492), Government Nominee Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers herself for re-appointment;
3. To re-appoint Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530), Deputy Managing Director as Rotational Director who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment;
4. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an Ordinary Resolution:-

"RESOLVED THAT pursuant to Sections 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, RBI Guidelines, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other laws or guidelines applicable, if any, for the time being in force, the consent of members be and is hereby accorded to appointment of M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515 W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004532S), as Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office from the conclusion of Seventeenth Annual General Meeting till the conclusion of the Twentieth Annual General Meeting to be held in the year 2024, subject to approval of RBI on an annual basis, on such terms & conditions and at an annual remuneration/ fees as recommended by the Audit Committee of the Board/ Board and given in the explanatory statement, with a power to the Audit Committee of the Board/ Board to alter and vary the terms and conditions of appointment, revision in the remuneration during the remaining tenure, in such manner and to such extent as may be mutually agreed with the Statutory Auditors."

“ यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक या वांछनीय या प्रासंगिक ऐसे सभी कृत्यों, मामलों, कार्यों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जिनमें कंपनी रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक फॉर्म दाखिल करने तथा इस संबंध में अन्य सभी आवश्यकताओं का पालन करना शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है.”

विशेष कारोबार

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे विशेष संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हो, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हो, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज़/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 7500/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जो कि बाजार मूल्य पर छूट (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहाँ तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद्वारा दी जाती है.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी), ईएसपीएस, ईएसओपी और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.”

“यह भी संकल्प किया जाता है कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.”

“RESOLVED FURTHER THAT Board be and is hereby authorized to do all such acts, matters, deeds and things necessary or desirable in connection with or incidental to give effect to the above resolution, including but not limited to filing of necessary forms with the Registrar of Companies and to comply with all other requirements in this regard.”

SPECIAL BUSINESS

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of Members of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (“the Board”) to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹ 10/- each and aggregating upto ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/guidelines, as deemed appropriate by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of Public Issue, Rights Issue, Qualified Institutional Placement (QIP), ESPS, ESOP and/or on a Private Placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/ guidelines.”

“RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank.”

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हो, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.”

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटारा किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.”

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.”

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 52 और 66, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17(2), सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 11 और 37 और अन्य लागू सांविधिक/विनियामकीय प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) और इस संबंध में अन्य अपेक्षित प्राधिकारियों के अनुमोदन के अधीन, यथा 01 अप्रैल 2021 के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते में यथा दर्शित ₹ 50719.75 करोड़ जमा शेष राशि का उपयोग कर ₹ 45396.18 करोड़ के कुल संचित हानि का समंजन करने के संबंध में शेयर पूंजी कम करने की योजना को लेखा परीक्षा समिति, बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों की संस्तुति और इस संबंध में सेबी/स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अपने दिनांक 27 अप्रैल 2021 के अवलोकनों /एनओसी द्वारा और दिनांक 14 जून 2021 के रिजर्व बैंक के पत्र द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव के अनुसार प्रभावी करने के लिए सभी संबद्ध कार्य करने की सहमति बैंक के सदस्यों द्वारा प्रदान की जाए तथा एतद्वारा प्रदान की जाती है.”

“**यह भी संकल्प किया जाता है कि** उपर्युक्त संकल्प के प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति को उक्त प्रयोजन के लिए ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने, जिसमें आवश्यक या वांछनीय समझे जाने पर संकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन और इस संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या संदेह के निपटारे के लिए अपने सम्पूर्ण विवेकाधिकार पर बैंक के कार्यपालकों को प्राधिकार देना शामिल है, के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.”

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 तथा संबद्ध अधिनियमों, नियमों एवं विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और अन्य लागू कानून/कानूनों, तथा रिजर्व बैंक के

“**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines.”

“**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution.”

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to Sections 52 and 66 of the Companies Act, 2013, Section 17(2) of the Banking Regulation Act, 1949 (BR Act), Regulations 11 and 37 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and other applicable statutory/regulatory provisions, if any, and subject to the approvals of National Company Law Tribunal (NCLT) and such other authorities as may be necessary in this regard, consent of the members of the Bank be and is hereby accorded to the Scheme of Reduction of Share Capital for setting off accumulated losses aggregating to ₹ 45396.18 crore by utilizing the balance of ₹ 50719.75 crore standing to the credit of Securities Premium Account as on April 01, 2021 and all related actions to be carried out for giving effect to the above proposal, as recommended by the Audit Committee, the Board, Independent Directors and approved by SEBI/Stock Exchanges vide their observation letter/NOC dated April 27, 2021 and by RBI vide their letter dated June 14, 2021 in this regard.”

“**RESOLVED FURTHER THAT**, for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board or a Committee of the Board for the said purpose be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including delegating authority to Executives of the Bank as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit.”

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution**:

“**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Relevant Acts, Rules

दिनांक 27 मई 2021 के अनुमोदन के अनुसार, बैंक के सदस्यों द्वारा बैंक के संस्था अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तन की अनुमति प्रदान की जाए तथा एतद्वारा प्रदान की जाती है.”

संशोधित अंतर्नियम

अंतर्नियम 116

1. बोर्ड का गठन ऐसी पद्धति से किया जाएगा जो अधिनियम, सूचीबद्धता विनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन और समय-समय पर रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए. निदेशक मंडल में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - i. बोर्ड द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
 - ii. बोर्ड द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
 - iii. बोर्ड द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक उप प्रबंध निदेशक,
 - iv. एलआईसी के दो नामिती निदेशक,
 - v. भारत सरकार के दो नामिती निदेशक,
 - vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149 (4) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारकों की महासभा में 8 गैर आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष सहित) प्रत्येक 4 वर्ष की क्रमानुगत अवधियों के लिए अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के अधीन नियुक्त होंगे, लेकिन ऐसे स्वतंत्र निदेशक, निदेशक के रूप में समाप्ति के तीन वर्ष के बाद ही नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो उपर्युक्त अधिनियमों/विनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा.
 - vii. उपर्युक्त क्रम सं. (iii) से (v) तक के निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार महासभा में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे.
 - viii. निदेशक मण्डल में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होंगी.

“यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीजें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों. करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.”

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी (डीआईएन : 06713850), जिनको आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 09 अक्टूबर 2017 से लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो 08 अक्टूबर 2021 को अपनी आरंभिक अवधि पूरी करेंगे तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) की शर्तों के अनुसार पात्र होने के कारण और एनआरसी एवं बोर्ड की सिफ़ारिश पर जिन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिया है, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) के अनुसार, 09 अक्टूबर 2021 से लगातार 4 वर्षों की दूसरी अवधि के लिए बोर्ड में

and Regulations, and other applicable law(s), if any, and as approved by RBI vide their letter dated May 27, 2021, consent of the Members of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank, as follows:

Amended Article:

Article 116

1. The Board shall be constituted in such manner as may be prescribed under the Act, the Listing Regulations, the Banking Regulation Act and RBI guidelines, as applicable from time to time. The Board of Directors shall include:
 - i. The Chairman appointed by the Board;
 - ii. One whole time Managing Director & CEO appointed by the Board;
 - iii. Two whole time Deputy Managing Directors appointed by the Board;
 - iv. Two Nominee Directors of LIC;
 - v. Two Nominee Directors of GoI;
 - vi. 8 Non Rotational Independent Directors (including chairman), appointed by shareholders in General Meeting in terms of Sec 149(4) read with Schedule IV of Companies Act, 2013 for two consecutive terms of 4 years each, total term not exceeding 8 years but such independent director shall be eligible for appointment after the expiration of three years of ceasing to be an independent director, subject to fulfilling the criteria laid down in the aforesaid Acts/Regulations;
 - vii. Directors at Sl. No (iii) to (v) shall be subject to retirement by rotation at the AGM in terms of the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013 and shall be eligible for re-appointment;
 - viii. At least one Independent Woman Director to be on the Board of Directors.

“RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution.”

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Special Resolution**:

“RESOLVED THAT Shri Bhuvanchandra Balkrishna Joshi (DIN 06713850) who was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank Ltd. for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2017 and who would be completing his initial term on October 08, 2021 and, in terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013, being eligible, who on recommendation of NRC and Board, has offered himself for re-appointment, be and is hereby re-appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation

स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाए तथा एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है. वे आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे. ”

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

“संकल्प किया जाता है कि श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन: 06519925), जिनको नामांकन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर संस्था अंतर्नियम के नियम 124 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) की शर्तों के अनुसार 14 जनवरी 2021 से आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा निदेशक के रूप में जिनकी अवधि आगामी वार्षिक महासभा की तारीख को समाप्त होने वाली है और जिनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन बैंक के निदेशक पद के लिए उनकी उम्मीदवारी को सूचित करते हुए एक नोटिस प्राप्त हुआ है, तथा एनआरसी और बोर्ड ने स्वतंत्र निदेशक के रूप में जिनकी नियुक्ति की सिफारिश की है, को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 116(1)(vi) एवं (viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), (10) एवं (11) और 152(2) के अनुसार, 14 जनवरी 2021 से लगातार आरंभिक 4 वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाए तथा एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है. वे आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे. ”

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

**राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594**

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

**Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594**

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई- 400005.

दिनांक: 14 जुलाई 2021

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.
2. कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020, 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020, 5 मई 2020 के परिपत्र सं. 20/2020 के साथ पठित दिनांक 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 12 मई 2020 के परिपत्र सं. सेबी/एचओ /सीएफडी /सीएमडी1 /सीआईआर /एफ /2020/79 के साथ पठित दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. सेबी/ एचओ/ सीएफडी/ सीएमडी1/ सीआईआर/ एफ/ 2020/ 11 के अनुसरण में सदस्य आगामी वार्षिक महासभा (एजीएम) में अपनी उपस्थिति एवं सहभागिता वीसी/ओएवीएम माध्यम से दर्ज करा सकते हैं.
3. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 14/2020 के साथ पठित 13 जनवरी 2021 के परिपत्र सं. 02/2021 के अनुसरण में, इस वार्षिक महासभा में सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से

Act, 1949 and Article 116(1)(vi) of the Articles of Association of the Bank for the second term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2021.”

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as **Ordinary Resolution:**

“**RESOLVED THAT** Smt. P.V. Bharathi (DIN 06519925) who, on recommendation of Nomination and Remuneration Committee (NRC), was appointed as Additional Director by the Board of IDBI Bank Ltd. w.e.f. January 14, 2021 in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 read with Article 124 of the Articles of Association and who would cease to be such Director on the date of the ensuing Annual General Meeting and in respect of whom, a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013, signifying her candidature for the office of Director of the Bank, was received and the NRC and Board recommended her appointment as Independent Director, be and is hereby appointed as Independent Director on the Board of the Bank not liable to retire by rotation in terms of Sections 149(4), (10) & (11) and 152(2) of the Companies Act, 2013 read with Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and Article 116(1)(vi) and (viii) of the Articles of Association of the Bank, to hold office initially for a term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2021.”

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: July 14, 2021

NOTES:

1. Explanatory Statement in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.
2. In view of the COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to the Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/11 dated January 15, 2021 read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/F/2020/79 dated May 12, 2020 issued by Securities & Exchange Board of India (SEBI), members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.
3. Pursuant to the Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for this AGM. However, the Body Corporates

- वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.
4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने की सुविधा 1000 सदस्यों को पहले आए पहले पाए आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें पहले आए पहले पाए आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.
 5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.
 6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्रों के साथ पठित 13 जनवरी 2021 के परिपत्र के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा और साथ ही महासभा के दिन ई-वोटिंग की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.
 7. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र सं. 17/2020 के साथ पठित 13 जनवरी 21 के परिपत्र सं. 02/2021 के अनुपालन में वार्षिक महासभा में बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर अपलोड की गई है. यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी जा सकती है. वार्षिक महासभा का नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.
 8. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.
 9. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत
- are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.
4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the AGM through VC/OAVM will be made available for 1000 members on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first served basis.
 5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.
 6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated January 13, 2021 read with April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020, the Bank is providing facility of remote e-Voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system as well as e-voting on the date of the AGM will be provided by NSDL.
 7. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read with Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.
 8. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.
 9. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Private Limited at their address at Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board

कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, 'बी' विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोननं. (022) 66553147/2711/3062, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

10. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार महासभा के दौरान निरीक्षण के लिए रजिस्टर उपलब्ध रहेगा जिसके लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली <https://www.evoting.nsdl.com/> पर लॉगिन करना होगा.
11. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:
 - i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मर्दाने पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.
 - ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.
 - iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में नीचे दिए गए हैं.
12. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ **बुधवार, 4 अगस्त 2021 से मंगलवार, 10 अगस्त 2021** तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मर्दाने पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक **3 अगस्त 2021** (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि गुरुवार, **5 अगस्त 2021 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** शुरू होगी और **सोमवार, 9 अगस्त 2021 को शाम 5.00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार)** समाप्त होगी. उक्त समयवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा. जिन सदस्यों के नाम सदस्यों / लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में यथा रिकॉर्ड की तारीख (कट-ऑफ तारीख), अर्थात् 3 अगस्त 2021 को दर्ज हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से दे सकते हैं. शेयरधारकों के मताधिकार यथा निर्दिष्ट तारीख, जो 3 अगस्त 2021 है, को बैंक की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात में होंगे.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूँ?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार “दो चरण” शामिल हैं:

चरण 1 : एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर एक्सेस करना

A) ई-वोटिंग के लिए लॉग-इन पद्धति तथा डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए वर्चुअल बैठक में शामिल होना

Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at 22nd floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553147/2711/3062, E-mail: idbiequity@idbi.co.in] with regard to any share related matter.

10. Registers as per Companies Act, 2013 shall be available for inspection during the AGM upon login at NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com/>
11. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :
 - i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.
 - ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.
 - iii) Details of login id are given below in this Notice.
12. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Wednesday, August 4, 2021 to Tuesday, August 10, 2021** (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on **August 3, 2021** (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The **remote e-voting period** begins on and from **Thursday, August 5, 2021 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Monday, August 9, 2021 at 5.00 P.M. (IST)**. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. The Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the record date (cut-off date) i.e. August 3, 2021, may cast their vote electronically. The voting right of shareholders shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Bank as on the cut-off date, being August 3, 2021.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of “Two Steps” which are mentioned below:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदत्त ई-वोटिंग सुविधा पर दिनांक 09 दिसंबर 2020 सेबी के परिपत्र की शर्तों के अनुसार, डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले शेयरधारकों को डिपॉजिटरियों या डिपॉजिटरी सहभागियों के पास खोले गए डिमैट खातों के माध्यम से वोट करने की अनुमति दी जाती है। शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि वे ई-वोटिंग सुविधा एक्सेस करने के लिए अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल अद्यतन करें।

डिमैट पद्धति से प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति नीचे दी जा रही है:

In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Login method for Individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

शेयरधारक का प्रकार	लॉगिन की पद्धति
वैयक्तिक शेयरधारक जो एनएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं	<p>1. यदि आप एनएसडीएल की आईडीईएस सुविधा के लिए पहले से पंजीकृत हैं तो कृपया आप एनएसडीएल की ई-सर्विसेस वेबसाइट पर जाएँ. व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://eservices.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-सर्विसेस का होम पेज खुलते ही “Login” के अंतर्गत “Beneficial Owner” आइकॉन पर क्लिक करें जो “IDeAS” सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप ई-वोटिंग सर्विसेस देख पाएंगे. ई-वोटिंग सर्विसेस के अंतर्गत “Access to e-Voting” पर क्लिक करें और आप ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p> <p>2. यदि यूज़र आईडीईएस आई-सर्विसेस के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://eservices.nsdl.com पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है. “Register Online for IDeAS” पोर्टल सिलेक्ट करें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें.</p>

Type of shareholders	Login Method
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	<p>1. If you are already registered for NSDL IDeAS facility, please visit the e-Services website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://eservices.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Services is launched, click on the “Beneficial Owner” icon under “Login” which is available under “IDeAS” section. A new screen will open. You will have to enter your User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services. Click on “Access to e-Voting” under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on options available against Bank name or e-Voting service provider - NSDL and you will be re-directed to NSDL e-Voting website for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p> <p>2. If the user is not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select “Register Online for IDeAS” Portal or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p>

	<p>3. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsd.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज खुलते ही “Login” आइकॉन पर क्लिक करें जो ‘Shareholder/Member’ सेक्शन के अंतर्गत उपलब्ध है. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात एनएसडीएल के पास 16 अंकों का आपका खाता संख्या), पासवर्ड/ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार एक सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद, आप एनएसडीएल की डिपोजिटरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p>		<p>3. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsd.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on options available against Bank name or e-Voting service provider - NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>
<p>वैयक्तिक शेयरधारक जो सीएसडीएल के पास डिमैट रूप में प्रतिभूति रखते हैं</p>	<p>1. वर्तमान यूजर जिन्होंने Easi / Easiest का चुनाव किया है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं. बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के ई-वोटिंग पेज पर जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा. Easi/Easiest को लॉगिन करने हेतु यूजर के लिए यूआरएल https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है तथा इसके बाद New System Myeasi पर क्लिक करें.</p> <p>2. Easi/Easiest का सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद यूजर ई-वोटिंग मेनू भी देख पाएंगे. मेनू के पास ई-वोटिंग सर्विस प्रदाता, अर्थात एनएसडीएल के लिंक होंगे. अपना मतदान करने के लिए NSDL पर क्लिक करें,</p> <p>3. यदि यूजर Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं तो https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध है.</p> <p>4. विकल्प के तौर पर, यूजर www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डिमैट खाता संख्या और पैन नंबर मुहैया करा कर सीधे ई-वोटिंग</p>	<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>1. Existing users who have opted for Easi / Easiest, they can login through their user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The URL for users to login to Easi / Easiest are https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login or www.cdslindia.com and click on New System Myeasi.</p> <p>2. After successful login of Easi/Easiest the user will be also able to see the E Voting Menu. The Menu will have links of e-Voting service provider i.e. NSDL. Click on NSDL to cast your vote.</p> <p>3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration</p> <p>4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing demat Account Number and PAN No. from a link in</p>

	<p>पेज एक्सेस कर सकते हैं. प्रणाली डिमैट खाते में रिकॉर्ड पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेज कर यूजर का सत्यापन करेगी. सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद यूजर को संबन्धित ईएसपी, अर्थात एनएसडीएल के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जहां ई-वोटिंग चल रहा है.</p>
<p>वैयक्तिक शेयरधारक (जो डिमैट रूप में प्रतिभूतियाँ रखते हैं) जो अपने डिपॉजिरी सहभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं</p>	<p>आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीएसडीएल के पास पंजीकृत अपने डिपॉजिरी सहभागी के माध्यम से अपने डिमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए भी लॉगिन कर सकते हैं. लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग संबंधी विकल्प देख पाएंगे. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करते ही सफलतापूर्वक सत्यापन के बाद आप एनएसडीएल/सीएसडीएल के डिपॉजिरी साइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग फीचर देख सकते हैं. बैंक के नाम के सामने उपलब्ध विकल्प पर या e-Voting service provider - NSDL पर क्लिक करें और इसके बाद आप रिमोट ई-वोटिंग की अवधि के दौरान मतदान करने या वर्चुअल बैठक में शामिल होने एवं बैठक के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर रि-डायरेक्ट कर दिए जाएंगे.</p>

	<p>www.cdsindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP i.e. NSDL where the e-Voting is in progress.</p>
<p>Individual Shareholders (holding securities in demat mode) login through their depository participants</p>	<p>You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Once you click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on options available against Bank name or e-Voting service provider-NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.</p>

महत्वपूर्ण सूचना: जो सदस्य अपना यूजर आईडी/ पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हों वे उपर्युक्त वेबसाइट पर Forget User ID एवं Forget Password विकल्प का उपयोग करें.

डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए एनएसडीएल एवं सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटर्स के माध्यम से लॉगिन करने में आने वाली किसी भी प्रकार की तकनीकी कठिनाई के लिए हेल्पडेस्क.

Important note: Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned website.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

लॉगिन स्वरूप	हेल्पडेस्क विवरण
<p>एनएसडीएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक</p>	<p>लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण evoting@nsdl.co.in पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा टोल फ्री नंबरों 1800 1020 990 एवं 1800 22 44 30 को कॉल कर एनएसडीएल की हेल्पडेस्क पर संपर्क करें.</p>
<p>सीडीएसएल में डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक</p>	<p>लॉगिन करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर सदस्यगण helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अपने अनुरोध भेजकर अथवा 022-23058738 या 022-23058542-43 को कॉल कर सीडीएसएल की हेल्पडेस्क पर संपर्क करें.</p>

Login type	Helpdesk details
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL</p>	<p>Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30</p>
<p>Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL</p>	<p>Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43</p>

आ) डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले गैर वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक स्वरूप में प्रतिभूतियाँ रखने वाले शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें ?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : <https://www.evoting.nsdl.com/> टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर “Login” आइकॉन पर क्लिक करें जो “Shareholders/ Member” खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड/ ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.
विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएस लॉगिन से <https://eservices.nsdl.com/> पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् “Cast your vote electronically” की तरफ बढ़ सकते हैं.
4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं:

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डिमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपका यूजर आईडी है :
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डिमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12***** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डिमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12 ***** है तो आपका यूजर आईडी 12 ***** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद बैंक के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. वैयक्तिक शेयरधारक से इतर शेयरधारक के पासवर्ड विवरण नीचे दिए गए हैं :

- क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

ब) Login Method for non-individual members holding shares in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: <https://www.evoting.nsdl.com/> either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.
Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at <https://eservices.nsdl.com/> with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.
4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12***** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12***** then your user ID is 12*****.
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the bank For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:

- a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.
- b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the ‘initial password’ which

- ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.
- ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?
- (i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या बैंक के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल खोलें और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया होगा.
- (ii) यदि आपका ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो आप नीचे उन शेयरधारकों संबंधी प्रक्रियाओं में उल्लिखित चरणों का पालन करें जिनके ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं.
6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :
- क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प **“Forgot User Details/Password?”** पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).
- ख) www.evoting.nsdl.com पर **“Physical User Reset Password?”** विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).
- ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलिओ संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.
- घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.
7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए **“Agree to Terms and Conditions”** पर टिक करें.
8. अब आपको **“Login”** बटन पर क्लिक करना होगा.
9. **“Login”** बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.
- was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.
- c) How to retrieve your 'initial password'?
- (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered
6. If you are unable to retrieve or have not received the “ Initial password” or have forgotten your password:
- a) Click on **“Forgot User Details/ Password?”** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
- b) **Physical User Reset Password?”** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.
- c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
- d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
7. After entering your password, tick on Agree to “Terms and Conditions” by selecting on the check box.
8. Now, you will have to click on “Login” button.
9. After you click on the “Login” button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से करें और एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर महासभा में शामिल हों. :

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है और महासभा में शामिल कैसे होना है?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप उन सभी कंपनियों के “EVEN” देख पाएंगे, जिनमें आपने शेयर धारित कर रखे हैं तथा जिनका वोटिंग साइकिल और महासभा एक्टिव स्थिति में हैं.
2. आप उस बैंक का “EVEN” चुनें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान मतदान करना चाहते हैं तथा महासभा में मतदान करना चाहते हैं. वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए आपको “Join General Meeting” के अंतर्गत “VC/OAVM” लिंक पर क्लिक करना होगा.
3. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
4. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् “Assent” या “Dissent” (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा “Submit” पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर “Confirm” पर क्लिक करें.
5. पुष्टिकरण के बाद, “Vote Cast Successfully” संदेश प्रदर्शित होगा.
6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर “Print” विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
7. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.
2. इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध “Forgot User Details/Password?” या “Physical Reset Password?” के विकल्प पर जाना होगा.
3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध ‘शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)’ तथा ‘शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल’ देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें अथवा evoting@nsdl.co.in पर श्री संजीव यादव, सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

Step 2: Cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system.

How to cast your vote electronically and join General Meeting on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies “EVEN” in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in active status.
2. Select “EVEN” of Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining virtual meeting, you need to click on “VC/OAVM” link placed under “Join General Meeting”.
3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on “Submit” and also “Confirm” when prompted.
5. Upon confirmation, the message “Vote cast successfully” will be displayed.
6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.
2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.
3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ठ और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें।
2. यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी+सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर लिस्ट अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें। यदि आप डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारक हैं तो आप चरण 1 (अ) में बताई पद्धति से लॉगिन करें। अर्थात् डिमैट पद्धति में प्रतिभूतियाँ रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन पद्धति का उपयोग करें।
3. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2) , जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में सेबी के दिनांक 9 दिसंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार डिमैट स्वरूप में प्रतिभूतियाँ धारित करने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी व डिपॉजिटरी सहभागी के पास खोले गए डिमैट खाते के माध्यम से ई-वोटिंग करने की अनुमति दी गई है। इस ई-वोटिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए शेयरधारकों को अपने डिमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही तरीके से अद्यतन करना होगा।

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
4. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है।

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice:

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) by email to idbiequity@idbi.co.in
2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master list or copy of Consolidated Account statement, PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of AADHAR Card) to idbiequity@idbi.co.in. If you are an Individual shareholders holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at step 1 (A) i.e. **Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.**
3. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by providing the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.
4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

वीसी/ओएवीएम के जरिए महासभा में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्यों को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य **एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली** के लिए एक्सेस संबंधी उपर्युक्तानुसार बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए एक्सेस कर सकते हैं. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप कंपनी के नाम के सामने “Join General Meeting” के अंतर्गत “VC/OAVM” लिंक देखेंगे. आपसे अनुरोध है कि “Join General Meeting” मेनू के अंतर्गत “VC/OAVM” लिंक पर क्लिक करें. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.
2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें तो ज्यादा सहूलियत होगी.
3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरे के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.
4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.
5. बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक वक्ता के रूप में अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं और अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 4 अगस्त 2021 की सुबह 9.00 बजे से 6 अगस्त 2021 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक वार्षिक महासभा के लिए उपलब्ध समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार रखता है.
6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से 4 अगस्त 2021 की सुबह 9.00 बजे से 6 अगस्त 2021 की शाम 5.00 बजे तक (बैंक के ई-मेल पते idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.
7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Members will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access by following the steps mentioned above for **Access to NSDL e-Voting system**. After successful login, you can see link of “VC/OAVM link” placed under “Join General meeting” menu against company name. You are requested to click on VC/OAVM link placed under Join General Meeting menu. The link for VC/OAVM will be available in Shareholder/Member login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush.
2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/ folio number, email id, mobile number at (Bank's email id: idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 4, 2021 till 5.00 p.m. on August 6, 2021. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for AGM.
6. Shareholders who would like to express their views/ have questions may send their questions in advance mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id: idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 4, 2021 till 5.00 p.m. on August 6, 2021. The same will be replied by the Bank suitably.
7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. एजीएम से पहले या इसके दौरान सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के संबंध में किसी भी सहायता के लिए एनएसडीएल से 1800-222-990 पर संपर्क करें अथवा श्री संजीव यादव को sanjeevy@nsdl.co.in पर मेल करें.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 9 जुलाई 2021 के बाद और 3 अगस्त 2021 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 9 जुलाई 2021 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 3 अगस्त 2021 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 3 अगस्त 2021 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध “Forgot User Details/ Password?” अथवा “Physical User Reset Password?” विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 3 अगस्त 2021 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 12(2) के अनुसार आरबीआई द्वारा प्रतिबंधित वोटिंग कैप के अधीन होंगे.
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध “Forgot User Details/ Password?” अथवा “Physical User Reset Password?” विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा सोमवार, 9 अगस्त 2021 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समयानुसार) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 3 अगस्त 2021 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं हैं, वे इस नोटिस को केवल सूचनाार्थ समझें.

8. Members who need assistance regarding VC/OAVM before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-222-990 or email to Mr. Sanjeev Yadav at sanjeevy@nsdl.co.in

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., July 9, 2021 and upto August 3, 2021 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from July 9, 2021 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 3, 2021 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of August 3, 2021, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using “Forgot User Details/Password” or “Physical User Reset Password?” option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 3, 2021 subject to Voting Cap restrictions provided by RBI in terms of Section 12(2) of the Banking Regulation Act, 1949.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to “Forgot User Details/Password?” or “Physical User Reset Password?” option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Monday, August 9, 2021 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 3, 2021, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, ईमेल: einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, बी विंग, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66552711/3147/3062) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

13. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न आने की स्थिति में सुश्री अश्विनी वर्तक को संवीक्षक नियुक्त किया है.
14. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 12 अगस्त 2021 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.
15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन प्रस्तुत करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य आईडीबीआई बैंक/ केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा.लि. को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.
02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/डीओपी1/ सीआईआर/पी/2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लिखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त के अनुपालन और शेयरधारकों के अधिदेशित बैंक खाते में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Private Limited, RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, Toll Free No.1800-345-4001, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005 (022-66552711/3147/3062) or NSDL-Toll Free No. 1800 222 990.

13. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Ms. Ashwini Vartak, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.
14. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before August 12, 2021 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.
15. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ KFin Technologies Pvt. Ltd.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.
02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/ CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2013-14 के अदावित लाभांश (अंतिम लाभांश) को शेयरों (जिन पर लगातार सात वर्षों के लिए लाभांश अदत्त/अदावित रहा है) के साथ निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश (अंतिम लाभांश) का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.
04. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत किसी भी डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.
03. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2013-14 (Final Dividend) to the Fund along with the shares (on which dividend has remained unpaid/unclaimed for seven consecutive years). The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2013-14 (Final Dividend), are requested to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.
04. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

मेसर्स एम. पी. चितले एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 101851डब्ल्यू) तथा मेसर्स के. एस. अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 100186डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीबीआई बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. आरबीआई ने दिनांक 27 अप्रैल 2021 के अपने परिपत्र द्वारा वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़ कर), यूसीबी और एनबीएफसी (एचएफसी सहित) के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) और सांविधिक लेखापरीक्षकों (एसए) की नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों में संशोधन कर दिया है. ('' दिशानिर्देशों''). आरबीआई के उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, सांविधिक लेखापरीक्षकों को लगातार 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करना होगा. आरबीआई का यह दिशानिर्देश वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू है. चूंकि, मेसर्स एम. पी. चितले एंड कंपनी और मेसर्स के. एस. अय्यर एंड कंपनी क्रमशः तीन और चार वर्ष पूरे कर चुके हैं, अतः वे बैंक के एससीए के रूप में पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते.

तदनुसार, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति ने मेसर्स जी. डी. आटे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 004532एस) को बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया तथा निदेशक मण्डल से इसकी सिफारिश की है. ये दोनों ही सांविधिक लेखा परीक्षक 17वां वार्षिक महासभा की समाप्ति से 3 (तीन) वर्ष के लिए तथा वर्ष 2024 में सम्पन्न होने वाली बीसवीं महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे जो इस अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा. बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड के पास आरबीआई और/या अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने सहित नियुक्ति, पारिश्रमिक, आदि की शर्तों में फेरबदल और परिवर्तन करने का अधिकार होगा.

मेसर्स जी. डी. आटे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 100515डब्ल्यू) और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण सं. 004532एस) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और लागू नियमों के अधीन तथा आरबीआई के दिनांक 27 अप्रैल 2021 के परिपत्र द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता की पुष्टि की है. इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 7 जुलाई 2021 के अपने पत्र द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति को अनुमोदित किया है.

मेसर्स जी. डी. आटे एंड कंपनी, सनदी लेखाकार और मेसर्स वर्मा एंड वर्मा, सनदी लेखाकार, बैंक के संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षा शुल्क के रूप में समग्र रूप से ₹ 250 लाख तथा ₹ 24 लाख तक अतिरिक्त फुटकर खर्च एवं लागू दरों पर कर का भुगतान किया जाएगा तथा बोर्ड/ बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के पास दोनों संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के बीच समग्र लेखापरीक्षा शुल्क को, उनके संबन्धित कार्यक्षेत्र के आधार पर बैंक और संयुक्त लेखापरीक्षकों की परस्पर सहमति से आबंटित करने का प्राधिकार होगा.

निदेशक मंडल वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 4 में निहित विषय को सामान्य संकल्प के रूप में पारित किये जाने की सिफारिश करता है. कोई भी निदेशक या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of items of the Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice

M/s M. P. Chitale & Co., Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No. 101851W) and M/s K. S. Aiyar & Co., Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No. 100186W) were appointed as the Statutory Central Auditors of the Bank for the FY 2020-21. RBI vide circular dated April 27, 2021 amended the Guidelines for Appointment of Statutory Central Auditors (SCAs)/Statutory Auditors (SAs) of Commercial Banks (excluding RRBs), UCBs and NBFCs (including HFCs) ("RBI Guidelines"). In terms of the said RBI Guidelines, the Statutory Auditors shall be appointed for a continuous term of 3 years. The said RBI Guidelines are applicable from the FY 2021-22. Since, M/s M. P. Chitale & Co. and M/s K. S. Aiyar have completed three years & four years respectively, the said firms cannot be re-appointed as SCAs of the Bank.

Accordingly, the Audit Committee of the Board considered and recommended to the Board of Directors, the appointment of M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004532S) as the Joint Statutory Auditors of the Bank, to hold office for a period of 3 (Three) years from the conclusion of Seventeenth Annual General Meeting till the conclusion of the twentieth Annual General Meeting of the Bank to be held in year 2024, subject to the approval of the RBI for each year during this tenure, with power to the Audit Committee of the Board/ Board, thereof, to alter and vary the terms and conditions of appointment, revision in the remunerations etc., including by reason of necessity on account of conditions as may be stipulated by the RBI and/ or any other authority.

M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants (Firm Regn. No. 100515W) and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants (Firm Regn. No. 004532S) have confirmed their eligibility to be appointed as Joint Statutory Auditors in terms of Section 141 of the Companies Act, 2013 and applicable Rules and the guidelines issued by RBI vide their circular dated April 27, 2021. Further, RBI vide its letter dated July 7, 2021 have approved their appointment as Joint Statutory Auditors of the Bank for FY 2021-22.

M/s G.D. Apte & Co., Chartered Accountants and M/s Varma & Varma, Chartered Accountants, Joint Statutory Auditors of the Bank, shall be paid overall Audit fees of ₹ 250 lakhs plus reimbursement of out of pocket expenses upto ₹ 24 lakh and taxes at the applicable rates for FY 2021-22, with authority to the Audit Committee of the Board/Board, to allocate the overall audit fees between the Joint Statutory Auditors, as may be mutually agreed between the Bank and the said Joint Statutory Auditors, depending upon their respective scope of work.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 4 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or

से संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

2. सूचना की मद सं. 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

- (i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बासेल III मानदंडों के वर्तमान कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 17 अगस्त 2020 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध है.
- (ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और/ अथवा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से आवश्यक अनुमोदन यदि कोई हो, प्राप्त करेगा.
- (iii) यह समर्थकारी संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के साथ पठित है, यह उपबंधित करता है कि जब भी बैंक द्वारा आगे कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर या इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सकता है.
- (iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल ₹ 7500 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.
- (v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.
- (vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.
- (vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जा सकता है जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्भूत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार

interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.5 of the Notice

- (i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 17, 2020 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.
- (ii) The Bank will obtain requisite approval, if any, of RBI, LIC and/or Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.
- (iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.
- (iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 7,500 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP, etc.
- (v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.
- (vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.
- (vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such

निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम पाँच प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है।

- (viii) "संगत तारीख" से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिस तारीख को बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले।
- (ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी।
- (x) अधिकार निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्णय आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श कर किया जाएगा।
- (xi) क्यूआईपी अथवा अधिकार निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा।
- (xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है। तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
- (xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है।
- (xiv) आर्बिट्रि इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे।

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा सदस्यों की सहमति लेने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 5 में दिए गए विशेष संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं।

3. सूचना की मद संख्या 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

- i. 1 अप्रैल 2021 को आईडीबीआई बैंक की कुल संचित हानियाँ ₹ 45396.18 करोड़ थीं जबकि बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते में ₹ 50719.75 करोड़ का शेष था।

other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

- (viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting on which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.
- (ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.
- (x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.
- (xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP.
- (xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.
- (xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.
- (xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the Members by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.5 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

- i. As on April 01, 2021, total accumulated losses of IDBI Bank stood at ₹ 45396.18 crore, whereas balance in Securities Premium Account of the Bank was ₹ 50719.75 crore.

- ii. संचित हानियों ने बैंक की शेयर पूंजी के रूप में दर्शाए गए मूल्य को मिटा दिया है और आरबीआई की दिनांक 2 फरवरी 2017 की अधिसूचना डीबीआर.बीपी.बीसी.सं. 50/21.06.2017/2016-17 के प्रावधानों के अनुसार संचित हानियों को देखते हुए वितरण योग्य मर्दाने नकारात्मक हैं और बैंक एटी1 बांडों के कूपन भुगतान के लिए पात्र नहीं है. बैंक को मार्च 2018 में कुल ₹ 5000 करोड़ के समग्र एटी1 बांडों की चुकौती करनी पड़ी थी. इससे निकट भविष्य में एटी1 बांड जुटाने की बैंक की योजना पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है.
- iii. बैंक प्रतिभूति प्रीमियम खाते में विद्यमान शेष राशियों से कुल संचित हानियों को प्रति-संतुलित कर देयता पक्ष की 2 (दो) मर्दाने को पुनर्व्यवस्थित कर अपने तुलन पत्र की सही, सत्य और यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता है ताकि बैंक की वित्तीय प्रोफाइल में सुधार आ सके.
- iv. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 14 जून 2021 के अपने पत्र द्वारा 1 अप्रैल 2021 को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में विद्यमान शेष राशियों के प्रति उक्त तारीख को संचित हानियों को समंजित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान की है जो कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों, सेबी विनियमों और साथ ही अन्य कानूनों और विनियमों के अनुपालन के अधीन होगी.
- v. सदस्यों द्वारा अनुमोदित किए जाने और राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद उक्त प्रस्तावित प्रतिभूति प्रीमियम कमी का प्रभाव यह होगा कि यथा 1 अप्रैल 2021 को संचित हानियाँ समंजित हो जाएंगी.
- vi. बैंक की यह राय है कि वर्तमान परिदृश्य में बैंक की सत्य और उचित वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करने के लिए बैंक को उपलब्ध यह सर्वाधिक व्यावहारिक और आर्थिक रूप से सक्षम विकल्प है. बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति प्रस्तुत कर सकेगा जिससे सदस्यों को फायदा होगा, क्योंकि उनकी धारिता को बेहतर अर्जन प्राप्त हो सकेगा और साथ ही लागू प्रावधानों के अनुसार उचित समयसीमा के अंदर लाभांश भुगतान सहित बैंक के सदस्यों को लाभ उपलब्ध कराने हेतु बैंक अवसर भी तलाश सकेगा. इस प्रस्ताव से बैंक समय-बद्ध तरीके से अपनी रूपान्तरण योजना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी बेहतर स्थिति में रहेगा. इसके अलावा देयताओं के पुनर्संयोजन की उक्त कार्यवाही अर्थात् संचित हानियों को प्रतिभूति प्रीमियम के प्रति समंजित करना तुलन-पत्र निरपेक्ष कार्यवाही होगी.
- vii. चूंकि संचित हानियों को समंजित करने के प्रयोजन हेतु बैंक के प्रतिभूति प्रीमियम खाते का प्रस्तावित उपयोग पूंजी में कमी माना जाएगा इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 52 और 66 के उपबंधों के अनुसरण में विशेष संकल्प के जरिए बैंक के शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जा रहा है.
- viii. बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 17(2) उपबंधित करती है कि जहाँ भी बैंक प्रतिभूति प्रीमियम खाते से किसी धन
- ii. Accumulated losses have wiped-off the value represented by the Share Capital of the Bank and in view of the accumulated losses, the distributable items, in terms of RBI's Notification DBR.BP.BC. No.50/21.06.2017/2016-17 dated February 02, 2017, is negative and the Bank is not eligible to make coupon payment of AT 1 Bonds. Bank had to repay entire AT1 Bonds aggregating to ₹ 5000 crore in March 2018. This is affecting the Bank's plan to raise AT1 Bonds in the near future.
- iii. Bank proposes to present fair, true and accurate picture of its balance sheet by rearranging 2(two) of the items in the liability side, by offsetting the total accumulated losses with the balances in the Securities Premium Account which will improve the Bank's financial profile.
- iv. Reserve Bank of India (RBI) vide its letter dated June 14, 2021, has given its approval to the Bank for setting off the accumulated losses as on April 01, 2021 against the balances in the Securities Premium Account on the same date, subject to compliance with the provisions of the Companies Act, 2013, SEBI Regulations as also compliance with all laws and regulations.
- v. The effect of the aforesaid proposed Securities Premium Reduction, if approved by the Members and confirmed by National Company Law Tribunal would be that the accumulated losses as on April 01, 2021 will be set off.
- vi. The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank. The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit Members as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the Members of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plan in a time-bound manner. Further, the said exercise of rearrangement of liabilities, i.e., setting off of accumulated losses against Securities Premium would be a Balance Sheet neutral exercise.
- vii. As the proposed utilization of Securities Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Sections 52 and 66 of the Companies Act, 2013.
- viii. Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Securities Premium

राशि अथवा धन राशियों का विनियोजन करता है तो वह ऐसे विनियोजन की तारीख से इक्कीस दिनों के अंदर इस प्रकार के विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट करते हुए इस तथ्य की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देगा. बैंक निर्दिष्ट समयावधि के अंदर इस अपेक्षा का अनुपालन करेगा.

- ix. प्रतिभूति प्रीमियम खाते में घटाव जिसमें प्रतिभूति प्रीमियम खाते में जमा राशि को कम करते हुए लाभ एवं हानि लेखे में नामे शेष को समंजित किया जाना शामिल है, बैंक को अपने शेयरधारकों के प्रति किसी प्रतिफल के उन्मोचन को अपरिहार्य नहीं बनाता है. तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कमी किए जाने के बाद भी बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता ढाँचा अपरिवर्तित बना रहेगा. शेयरों का बही मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा.

आईडीबीआई बैंक की शेयरधारिता का ढाँचा:

क्रम सं	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कमी से पहले (यथा 09.07.2021)		शेयर प्रीमियम खाते में कमी के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत (%)	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत (%)
अ.	प्रवर्तक धारिता				
	भा.जी.बी.निगम	5294102939	49.24	5294102939	49.24
	भारत सरकार	4889871903	45.48	4889871903	45.48
आ.	गैर-प्रवर्तक धारिता:	568427333	05.28	568427333	05.28
	कुल	10752402175	100.00	10752402175	100.00

- x. शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है.
- xi. निदेशक मंडल ने 12 फरवरी 2021 को संपन्न अपनी बैठक में लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, विशेष संकल्प के जरिए शेयरधारकों के अनुमोदन तथा बैंक द्वारा एनसीएलटी और इस संबंध में अपेक्षित अन्य प्राधिकारियों से प्राप्त किए जाने वाले अनुमोदनों के अधीन प्रस्तावित शेयर पूंजी घटाव योजना को अनुमोदित किया था.
- xii. स्वतंत्र निदेशकों ने दिनांक 12 फरवरी, 2021 की अपनी रिपोर्ट के माध्यम से पुष्टि की थी कि उक्त प्रस्ताव बैंक के शेयरधारकों के हितों के लिए हानिकारक नहीं है क्योंकि यह बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न को प्रभावित / परिवर्तित नहीं करेगा और शेयरधारकों को इसकी सिफारिश की.
- xiii. दिनांक 10 मार्च 2017 के सेबी के परिपत्र के अनुसार वेबसाइट पर योजना होस्ट करने की अवधि के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी और इस कारण से नोटिस के साथ कोई शिकायत रिपोर्ट संलग्न नहीं की गई है. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 37 के प्रावधानों के अनुसार सेबी/स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जारी अवलोकन पत्र/अनापत्ति पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न हैं

account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

- ix. The reduction of Securities Premium Account which involves set off of debit balance in P& L account by reducing the amount standing to the credit of the Securities Premium Account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding Pattern of IDBI Bank:

Sr. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account (As on 09.07.2021)		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of shares held	Shareholding Percentage (%)	No. of shares held	Shareholding Percentage (%)
A.	Promoters Holding				
	LIC of India	5294102939	49.24	5294102939	49.24
	Government of India	4889871903	45.48	4889871903	45.48
B.	Non-promoter Holding:	568427333	05.28	568427333	05.28
	Total	10752402175	100.00	10752402175	100.00

- x. The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.
- xi. The Board, at its meeting held on February 12, 2021, based on the recommendation of the Audit Committee had approved the proposed Scheme of Reduction of Share Capital subject to the approval of Shareholders through Special Resolution and approvals of NCLT and such other authorities as may be necessary in this regard to be obtained by the Bank.
- xii. The Independent Directors' vide their report dated February 12, 2021 had confirmed that the said proposal is not detrimental to the interests of the shareholders of the Bank as it would not affect/change equity capital structure and shareholding pattern of the Bank and has recommended the same to shareholders.
- xiii. There were no complaints received during the period of hosting the scheme on the website as per the SEBI Circular dated March 10, 2017 and hence the complaint reports are not attached to the notice. The Observation Letter / No-Objection Letter issued by SEBI/ Stock Exchanges in accordance with

और बैंक की वेबसाइट पर [https:// www.idbibank.in/draft-scheme-for-setting-off-accumulated-losses.asp](https://www.idbibank.in/draft-scheme-for-setting-off-accumulated-losses.asp) लिंक पर उपलब्ध है।

- xiv. दिनांक 10 मार्च 2017 को सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीएफडी/डीआईएल3/सीआईआर/2017/21 के अनुबंध-I के पैरा I(ए)(4) के अनुसार, शेयर पूंजी घटाने की प्रस्तावित योजना के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, सूचीबद्ध इकाई के लिए मूल्यांकनकर्ता द्वारा आस्तियों/शेयरों के मूल्यांकन पर सेबी पंजीकृत मर्चेंट बैंकर की निष्पक्षता की राय भी पूर्वोक्त परिपत्र के अनुबंध-I के पैरा I(ए)(2) के अनुसार लागू नहीं होती है।

निदेशक मंडल, नोटिस के मद संख्या 6 में निहित विशेष संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं हैं।

4. सूचना की मद संख्या 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने “बैंकों में कॉर्पोरेट अभिशासन - निदेशकों की नियुक्ति और बोर्ड की समितियों के गठन” पर अपने परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-22/24 (डीओआर.जीओवी. आरईसी.8/29.67.001/2021-22) द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष और बैठकें, एसीबी, आरएमसी और एनआरसी की संरचना, गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) की आयु, कार्यकाल और पारिश्रमिक और पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में अनुदेश जारी किये हैं। परिपत्र 26 अप्रैल 2021 से प्रभावी है और बैंकों को 01 अक्टूबर 2021 तक परिपत्र के अनुपालन की अनुमति है। तथापि आरबीआई के उक्त परिपत्र के बिंदु 13 के अनुसार, बोर्ड के अध्यक्ष, जो परिपत्र जारी करने की तारीख को स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, उन्हें रिजर्व बैंक द्वारा पहले से अनुमोदित अनुसार अध्यक्ष के रूप में वर्तमान कार्यकाल को पूरा करने की अनुमति दी जाएगी। उक्त परिपत्र का अनुपालन के उद्देश्य से बैंक को निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में संस्थान के अंतर्नियम में संशोधन करने की आवश्यकता है और आगामी वार्षिक महासभा की बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए विशेष संकल्प भी प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावित परिवर्तनों को आरबीआई ने 27 मई 2021 के अपने पत्र के माध्यम से अनुमोदित किया है।

निदेशक मंडल, सूचना की मद संख्या 7 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) की शर्तों के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबन्धित या हितबद्ध नहीं है।

the provisions of Regulation 37 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 are enclosed to this notice and available on the website of the Bank under the link <https://www.idbibank.in/draft-scheme-for-setting-off-accumulated-losses.asp>.

- xiv. In terms of Para I(A)(4) of Annexure – I of Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 issued by SEBI on March 10, 2017, Valuation Report is not required for the proposed Scheme of reduction of Share Capital. Accordingly, the Fairness opinion by a SEBI Registered merchant banker on valuation of assets / shares done by the valuer for the listed entity is also not applicable as per Para I(A)(2) of Annexure – I of the aforesaid Circular.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolutions as contained at Item No.6 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.7 of the Notice

RBI vide its circular No. RBI/2021-22/24 (DOR.GOV. REC.8/29.67.001/2021-22) on “Corporate Governance in Banks - Appointment of Directors and Constitution of Committees of the Board” has issued instructions with regard to the Chair and meetings of the Board, Composition of ACB, RMC and NRC, age, tenure and remuneration of Non-Executive Directors (NEDs) and appointment and tenure of whole-time Directors (WTDs). The circular is effective from April 26 2021 and Banks are permitted to comply with the circular latest by October 01, 2021. However, pursuant to Point 13 of the said RBI Circular, the Chair of Board who is not an Independent Director on the date of issue of the circular shall be allowed to complete the current term as Chair as already approved by the Reserve Bank. In order to comply with the said circular, Bank is required to make amendment to the Articles of Association in respect of composition of the Board of Directors and further proposed the Special Resolution for the approval of the Shareholders to be obtained at the ensuing Annual General Meeting. The proposed alterations have been approved by RBI vide their letter dated May 27, 2021.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No.7 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

5. **सूचना की मद संख्या 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री भुवनचंद्र बालकृष्ण जोशी (डीआईएन 06713850) को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 9 अक्टूबर 2017 से 4 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था. वे 08 अक्टूबर 2021 को अपना 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. बैंक के संस्था अंतर्नियम 116(1)(vi) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(10) के अनुसार श्री बी.बी. जोशी लगातार 4 वर्ष की दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं. श्री बी.बी. जोशी पुनर्नियुक्ति के लिए इच्छुक हैं. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के पैरा VIII (2) के प्रावधानों के अनुसार और वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किए गए स्वतंत्र निदेशकों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर श्री बी. बी. जोशी को 9 अक्टूबर 2021 से लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव है और वार्षिक महासभा सूचना की मद संख्या 8 के अधीन निहित संकल्प को पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्री बी बी जोशी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन यह घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करना जारी रखेंगे.

इसके अलावा, बोर्ड की राय में भी, वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन बनाए गए नियमों, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्दिष्ट निबंधनों को पूरा करते हैं और यह कि निदेशक पद प्रबंधन से स्वतंत्र पद है. श्री बी. बी. जोशी बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान और साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे. एनआरसी की सिफारिश के आधार पर बोर्ड श्री बी.बी. जोशी को 9 अक्टूबर 2021 से लगातार 4 वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की है.

बोर्ड सूचना की मद संख्या 8 में निहित विशेष संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्री बी. बी. जोशी के अलावा) या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री बी.बी. जोशी की स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं. श्री बी.बी. जोशी का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

6. **सूचना की मद संख्या 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत व्याख्यात्मक विवरण**

श्रीमती पी. वी. भारती (डीआईएन 06519925) को आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में 14 जनवरी 2021 से अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे आगामी वार्षिक महा सभा की बैठक की तारीख तक अपर निदेशक के रूप में पद पर रहेंगी. बैंक को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अधीन श्रीमती पी.वी. भारती से एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने निदेशक के पद के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में सूचित

5. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice**

Shri Bhuvanchandra Balkrishna Joshi (DIN 06713850) was appointed as Independent Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. October 09, 2017 for an initial period of 4 years. He is completing his term of 4 years on October 08, 2021. In terms of Section 149(10) of the Companies Act, 2013 read with Article 116(1) (vi) of the Articles of Association of the Bank, Shri B. B. Joshi is eligible for reappointment for another term of 4 consecutive years. Shri B. B. Joshi has offered himself for re-appointment. In terms of the provisions of Para VIII (2) of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and based on the Annual Evaluation of Independent Directors carried out for FY 2020-21, it is proposed to re-appoint Shri B. B. Joshi as an Independent Director for second term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2021 and pass the resolution contained under Item No. 8 of the AGM Notice. It may be noted that Shri B. B. Joshi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that he continues to meet the criteria of Independence as provided in Section 149(6) of the Companies Act, 2013.

Further, in the opinion of the Board also, he fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management. Shri B B Joshi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of his transport, travel and stay arrangements. Based on recommendation of NRC, Board recommends the appointment of Shri B. B. Joshi as Independent Director for the second term of 4 consecutive years w.e.f. October 09, 2021.

The Board of Directors recommends passing of the Special Resolution as contained at Item No. 8 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Shri B. B. Joshi himself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for re-appointment of Shri B. B. Joshi as Independent Director. Shri B. B. Joshi is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

6. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 9 of the Notice**

Smt. P. V. Bharathi (DIN 06519925) was appointed as Additional Director on the Board of IDBI Bank w.e.f. January 14, 2021 and will hold office as such Director upto the date of the ensuing Annual General Meeting. The Bank has received a notice under Section 160 of the Companies Act, 2013 from Smt. P. V. Bharathi signifying her candidature for the office of Director. It is proposed to appoint Smt. P. V. Bharathi as Independent Director

किया है. श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2021 (अपर निदेशक के रूप में उनकी मूल नियुक्ति की तारीख) से लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है और इस सूचना की मद संख्या 9 के अधीन निहित संकल्प पारित किया जाए. यह नोट किया जाए कि श्रीमती पी.वी. भारती ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अधीन यह घोषणा दी है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में दिए गए स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती हैं. इसके अलावा, बोर्ड की राय में भी, वे ऐसी नियुक्ति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके अधीन, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में निर्दिष्ट निबंधनों को पूरा करती हैं और यह कि निदेशक पद प्रबंधन से स्वतंत्र पद है.

स्वतंत्र निदेशक के रूप में श्रीमती पी.वी. भारती बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान और साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की पात्र होंगी. एनआरसी की सिफारिश के आधार पर बोर्ड श्रीमती पी.वी. भारती को 14 जनवरी 2021 से लगातार 4 वर्ष के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्ति की सिफारिश करता है.

बोर्ड सूचना की मद संख्या 9 में निहित सामान्य संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई भी निदेशक (स्वयं श्रीमती पी. वी. भारती के अलावा) या बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है. श्रीमती पी.वी.भारती का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

**बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

**राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594**

पंजीकृत कार्यालय:

आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई-400005.

दिनांक: 14 जुलाई 2021

for an initial term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2021 (i.e. the date of her original appointment as Additional Director) and pass the resolution contained under Item No.9 of this Notice. It may be noted that Smt. P. V. Bharathi has given a declaration under Section 149(7) of the Companies Act, 2013 that she meets the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013. Further, in the opinion of the Board also, she fulfills the conditions specified in the Companies Act, 2013 and rules made thereunder, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and The Banking Regulation Act, 1949 for such an appointment and that the Director is independent of the management.

As Independent Director, Smt. P. V. Bharathi shall be entitled to the payment of sitting fees for attending Board/ Committee Meetings as well as reimbursement of her transport, travel and stay arrangements for attending meetings. Based on recommendation of the NRC, Board recommends the appointment of Smt. P. V. Bharathi as Independent Director for the initial term of 4 consecutive years w.e.f. January 14, 2021.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 9 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors (other than Smt. P. V. Bharathi herself) or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution. Smt. P. V. Bharathi is not related to any other KMP or Director on the Board of the Bank.

**By Order of the Board
For IDBI Bank Limited**

**Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594**

Registered Office:

IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: July 14, 2021

आगामी वार्षिक महासभा में नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

[सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) और महा सभा पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार]

निदेशक का नाम	श्रीमती पी.वी.भारती	श्री भुवंचन्द्र बी.जोशी
संक्षिप्त विवरण	श्रीमती पी.वी. भारती 31 मार्च 2020 को कॉर्पोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में सेवानिवृत्त हुईं. 01 फरवरी 2019 से कॉर्पोरेशन बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने बैंक को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया और विभिन्न रणनीतिक पहल कार्यों के माध्यम से बैंक को विकास के पथ पर अग्रसर किया जिसमें कासा जुटाने, कृषि पर जोर देते हुए गुणवत्ता ऋण संवृद्धि करने, खुदरा एवं एमएसएमई अग्रिमों पर जोर देने और आस्ति गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केन्द्रित करना शामिल है. इससे पहले वे केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) थीं. सुश्री भारती बैंकिंग उद्योग में 1982 में केनरा बैंक के अधिकारी के रूप में शामिल हुईं तथा उन्होंने बैंक की शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों के साथ-साथ बैंक के हांगकांग कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य किया. महाप्रबंधक के रूप में वे बैंक की मुख्य जोखिम अधिकारी थीं. वे एक परिपक्व बैंकर हैं जिनके पास बैंकिंग परिचलनों का 37 से अधिक वर्षों का विभिन्न प्रकार के अनुभव है. वे केनरा बैंक की विभिन्न सहायक कंपनियों के बोर्ड में थीं और उन्हें भारत सरकार द्वारा भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) के बोर्ड में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था.	श्री बी. बी. जोशी एक कैरियर बैंकर हैं जिनके पास बैंक ऑफ इंडिया में शाखा बैंकिंग, कॉर्पोरेट क्रेडिट, विदेशी मुद्रा, ओवरसीज परिचालन, अनुपालन, एसएमई बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों और साथ ही अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका में ओवरसीज बैंकिंग का लगभग 39 वर्षों का अनुभव है. वे बैंक ऑफ इंडिया के कार्यपालक निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए, जहां वे बैंक के बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों में थे.
पदनाम	अपर निदेशक (स्वतंत्र श्रेणी)	स्वतंत्र निदेशक
जन्म तिथि	22.03.1960 (61 वर्ष)	03.12.1956 (64 वर्ष)
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	14 जनवरी 2021	09 अक्टूबर 2017
शैक्षणिक योग्यता	बी एससी., एम ए(अर्थशास्त्र) बीएड., सीएआईआईबी, बैंकिंग व फाइनेंस में एकीकृत पाठ्यक्रम (एनआईबीएम)	बी.कॉम और सीएआईआईबी
विशेषज्ञता	कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, जोखिम, अर्थशास्त्र, प्रशासन व कॉर्पोरेट अभिशासन	कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, लघु उद्योग, प्रशासन व कॉर्पोरेट अभिशासन
अन्य संस्थाओं में निदेशक पद	1. आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड	शून्य
अन्य संस्थाओं की समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता	आईडीएफसी फर्स्ट भारत लिमिटेड में एसबी के सदस्य	शून्य

BRIEF RESUME OF DIRECTOR SEEKING APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING AGM

[Pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standards 2 on General Meetings]

Name of Director	Smt. P. V. Bharathi	Shri Bhuvanchandra B. Joshi
Brief Resume	Smt. P. V. Bharathi retired as Managing Director and CEO of Corporation Bank on March 31, 2020. During her tenure with Corporation Bank from February 01, 2019, she provided strong leadership to the Bank and put the Bank on a growth path through various strategic initiatives with focus on Mobilising CASA, Quality Credit growth with emphasis on Agriculture, Retail and MSME advances and improving asset quality. Prior to this, she was Executive Director (WTD) at Canara Bank. Ms. Bharathi joined the Banking Industry as an Officer in 1982 in Canara Bank and served in various capacities in Branches & Administrative Offices of the Bank as well as in Hong Kong office of the Bank. As a General Manager, she was Chief Risk Officer of the Bank. She is a seasoned banker with over 37 years of varied experience in Banking Operations. She was on the Board of various subsidiaries of Canara Bank and had been appointed as Scheduled Commercial Banks' (SCBs) Nominee Director on the Board of India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) by Government of India.	Shri B.B. Joshi is a career Banker with around 39 years of Banking experience in Bank of India in various fields like Branch Banking, Corporate Credit, Foreign Exchange, Overseas Operations, Compliance, SME Banking, Retail Banking including overseas banking experience in Africa and USA. He retired as the Executive Director of Bank of Baroda where he was on its Board and Board Level Committees.
Designation	Additional Director (Independent Category)	Independent Director
Date of Birth	22.03.1960 (61 years)	03.12.1956 (64 years)
Date of appointment on Board	January 14, 2021	October 09, 2017
Qualification	B Sc., M A (Economics), B Ed., CAIIB , Integrated course in banking and finance (NIBM)	B.Com and CAIIB
Expertise	Agriculture and Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Risk, Economics, Administration and Corporate Governance.	Agriculture & Rural Economy, Banking, Small Scale Industry, Administration and Corporate Governance.
Directorship in other entities	1. IDFC FIRST Bharat Limited	Nil
Membership / Chairmanship in Committees of other entities	Member of ACB in IDFC FIRST Bharat Limited	Nil

निदेशक की श्रेयधारिता	शून्य	शून्य
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य	शून्य
नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति की निबंधन व शर्तें	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची iv में दिये अनुसार तथा सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है. निदेशक, बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क और अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं.	स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए निबंधन व शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 में दिये अनुसार तथा सूचीबद्धता विनियमन के प्रावधानों के अनुसार है. निदेशक, बैठकों में उपस्थिति के लिए बैठक शुल्क और अन्य व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र हैं.
पारिश्रमिक	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए बैठक शुल्क के भुगतान के साथ ही वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं.
स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का औचित्य	श्रीमती पी. वी. भारती को बैंकिंग क्षेत्र में जोखिम प्रबंधन में विशेष कौशल सहित 3 दशकों का अनुभव है.	बैंक बोर्ड में लगातार पिछले 4 वर्षों के उनके कार्यानिष्ठादन के आधार पर और उनके कार्यानिष्ठादन मूल्यांकन के आधार पर श्री बी.बी. जोशी को स्वतंत्र निदेशक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त करने का प्रस्ताव है.
अपने कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (सम्यन्/ उपस्थिति)	(3/3)	(16/16)

Shareholding of Director	Nil	Nil
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil
Terms and Conditions of Appointment/ Re-appointment	Terms and conditions for appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of Listing Regulations. Directors will be entitled to Sitting fees and reimbursement of expenses for attending meetings.	Terms and conditions for appointment of Independent Directors are as provided in Schedule IV of the Companies Act, 2013 and provisions of Listing Regulations. Directors will be entitled to Sitting fees and reimbursement of expenses for attending meetings.
Remuneration	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.	Entitled to the payment of sitting fees for attending Board / Committee Meetings as well as reimbursement of transport, travel and stay arrangements for attending meetings.
Justification for Appointment/ Reappointment of Independent Directors	Smt. P. V. Bharathi has around 3 decades of experience in Banking Sector with special skills in Risk Management.	Based on his continuous past Performance of around 4 years on the Bank's Board and based on his performance evaluation, Shri B. B. Joshi is proposed to be re-appointed for second term as Independent Director.
Number of Board meetings attended during their tenure (Held/Attended)	(3/3)	(16/16)

DCS/AMAL/SV/R37/1947/2021-22

“E-Letter”

April 27, 2021

The Company Secretary,
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai, Maharashtra, 400005

Sir,

Sub: Observation letter regarding Draft Scheme of Reduction of share capital of IDBI Bank Limited and their respective shareholders.

We are in receipt of the Draft Scheme of Reduction of IDBI Bank Limited filed as required under SEBI Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017; SEBI vide its letter dated April 16, 2021 has inter alia given the following comment(s) on the draft scheme of reduction:

- **“Company shall duly comply with various provisions of the Circular.”**
- **“Company is advised to ensure that final approval of RBI is in place prior to filing of the scheme with NCLT.”**
- **“Company to ensure that the financials of the companies involved in the scheme is updated and are not more than 6 months old.”**
- **“Company to ensure that the proposed scheme is acted upon only if approved by NCLT.”**
- **“Company shall ensure that additional information and undertakings, if any, submitted by the Company, after filing the scheme with the stock exchanges, and from the date of receipt of this letter is displayed on the websites of the listed company and the stock exchanges.”**
- **“Company is advised that the observations of SEBI/Stock Exchanges shall be incorporated in the petition to be filed before National Company Law Tribunal (NCLT) and the company is obliged to bring the observations to the notice of NCLT.”**
- **“It is to be noted that the petitions are filed by the company before NCLT after processing and communication of comments/observations on draft scheme by SEBI/stock exchange. Hence, the company is not required to send notice for representation as mandated under section 230(5) of Companies Act, 2013 to SEBI again for its comments / observations / representations.”**

Accordingly, based on aforesaid comment offered by SEBI, the company is hereby advised:

- To provide additional information, if any, (as stated above) along with various documents to the Exchange for further dissemination on Exchange website.
- To ensure that additional information, if any, (as stated aforesaid) along with various documents are disseminated on their (company) website.
- To duly comply with various provisions of the circulars.

In light of the above, we hereby advise that we have no adverse observations with limited reference to those matters having a bearing on listing/de-listing/continuous listing requirements within the provisions of Listing Agreement, so as to enable the company to file the scheme with Hon'ble NCLT.

Further, where applicable in the explanatory statement of the notice to be sent by the company to the shareholders, while seeking approval of the scheme, it shall disclose information about unlisted company involved in the format prescribed for abridged prospectus as specified in the circular dated March 10, 2017.

Kindly note that as required under Regulation 37(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the validity of this Observation Letter shall be six months from the date of this Letter, within which the scheme shall be submitted to the NCLT.

The Exchange reserves its right to withdraw its 'No adverse observation' at any stage if the information submitted to the Exchange is found to be incomplete / incorrect / misleading / false or for any contravention of Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, Listing Agreement, Guidelines/Regulations issued by statutory authorities.

Please note that the aforesaid observations does not preclude the Company from complying with any other requirements.

Further, it may be noted that with reference to Section 230 (5) of the Companies Act, 2013 (Act), read with Rule 8 of Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules 2016 (Company Rules) and Section 66 of the Act read with Rule 3 of the Company Rules wherein pursuant to an Order passed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, a Notice of the proposed scheme of compromise or arrangement filed under sections 230-232 or Section 66 of the Companies Act 2013 as the case may be **is required to be served upon the Exchange seeking representations or objections if any.**

In this regard, with a view to have a better transparency in processing the aforesaid notices served upon the Exchange, the Exchange has **already introduced an online system of serving such Notice along with the relevant documents of the proposed schemes through the BSE Listing Centre.**

Any service of notice under Section 230 (5) or Section 66 of the Companies Act 2013 seeking Exchange's representations or objections if any, **would be accepted and processed through the Listing Centre only and no physical filings would be accepted.** You may please refer to circular dated February 26, 2019 issued to the company.

Yours faithfully,

Sd/-

Nitinkumar Pujari
Senior Manager

National Stock Exchange Of India Limited

Ref: NSE/LIST/ 26073 _II

April 27, 2021

The Company Secretary
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400005

Kind Attn.: Mr. Pawan Agrawal

Dear Sir,

Sub: Observation Letter for Draft scheme of reduction of share capital between IDBI Bank Limited and its shareholders

We are in receipt of the Draft scheme of reduction of share capital between IDBI Bank Limited and its shareholders vide application dated February 12, 2021.

Based on our letter reference no Ref: NSE/LIST/26073 submitted to SEBI and pursuant to SEBI Circular No. CFD/DIL3/CIR/2017/21 dated March 10, 2017 ('Circular'), kindly find following comments on the draft scheme:

- a. *The Company shall ensure that final approval of RBI is in place prior to filing of the scheme with NCLT*
- b. *The Company shall duly comply with various provisions of the Circular.*
- c. *The Company to ensure that the financials of the companies involved in the scheme is updated and are not more than 6 months old.*
- d. *The Company shall ensure that the proposed scheme is acted upon only if approved by the NCLT*
- e. *The Company shall ensure that additional information and undertaking, if any submitted by the Company, after filing the scheme with the stock exchange, and from the date of receipt of this letter is displayed on the websites of the listed company.*
- f. *The Company is advised that the observations of SEBI/Stock Exchanges shall be incorporated in the petition to be filed before National Company Law Tribunal (NCLT) and the company is obliged to bring the observations to the notice of NCLT.*
- g. *It is to be noted that the petitions are filed by the company before NCLT after processing and communication of comments/observations on draft scheme by SEBI/ stock exchange. Hence, the company is not required to send notice for representation as mandated under section 230(5) of Companies Act, 2013 to SEBI again for its comments/observations/representations.*

It is to be noted that the petitions are filed by the company before NCLT after processing and communication of comments/observations on draft scheme by SEBI/ stock exchange. Hence, the company is not required to send notice for representation as mandated under section 230(5) of Companies Act, 2013 to National Stock Exchange of India Limited again for its comments/observations/ representations.

Based on the draft scheme and other documents submitted by the Company, including undertaking given in terms of Regulation 11 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, we hereby convey our “No-objection” in terms of Regulation 94 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, so as to enable the Company to file the draft scheme with NCLT.

However, the Exchange reserves its rights to raise objections at any stage if the information submitted to the Exchange is found to be incomplete/ incorrect/ misleading/ false or for any contravention of Rules, Bye-laws and Regulations of the Exchange, Listing Regulations, Guidelines / Regulations issued by statutory authorities.

The validity of this “Observation Letter” shall be six months from April 27, 2021 within which the scheme shall be submitted to NCLT.

The Company shall ensure filing of compliance status report stating the compliance with each point of Observation Letter on draft scheme of arrangement on the following path: *NEAPS > Issue > Scheme of arrangement > Reg 37(1) of SEBI LODR, 2015>Seeking Observation letter to Compliance Status*

Yours faithfully,
For National Stock Exchange of India Limited

Jiten Patel
Manager

P.S. Checklist for all the Further Issues is available on website of the exchange at the following URL http://www.nseindia.com/corporates/content/further_issues.htm

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम _____ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि वे

- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी के द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.
- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट (यदि जारी किया गया तो) पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें

फोलियो नं.: आईडीबी _____

बैंक खाते / ईमेल आईडी के विवरण:

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	सदस्य का ईमेल आईडी	:	
9.	सदस्य का मोबाइल/फोन नंबर	:	

.....
सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड के सही होने के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबंधित चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.
- 2.

<p>ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:</p> <p>केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद 500 032, तेलंगाना.</p>	<p>शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :</p> <p>संबंधित डिपॉजिटरी, जहां आपका डिमैट खाता खोला गया है.</p>
---	--

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. निवास-स्थान संबंधी स्व-प्रमाणित प्रति - आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र.
3. निरस्त कोरे चेक का पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है
This page has been intentionally left blank



BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We _____ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.
- To Print the following details on my/our dividend warrant (issued if necessary)

Folio No. : IDB _____

Particulars of Bank Account / Email ID:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of Member	:	
9.	Mobile / Phone number of Member	:	

.....
Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.
- 2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to: KFin Technologies Pvt. Ltd. Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to: The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.
--	--

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of Residence -AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled blank cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

